

प्रपत्र "अ"

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क.222 श्री चम्पालाल देवड़ा

क्र.	वर्ष	स्वीकृत मार्गों का नाम एवं लंबाई	स्वीकृति क. एवं लागत	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता का निर्धारित दिनांक	कार्य पूर्ण होने की संभावित दिनांक	विलंब कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2015-16	उदयनगर (सबलगाढ़ फाटा) से कनाड़ मार्ग (मिसिंग लिंक) लं. 9.70 कि.मी.	म.प्र.शासन लो.नि.वि भोपाल का पत्र क्र. एफ-43/18/2015/19/यो/5324 भोपाल दि. 01.09.2015 राशि रु. 1087.23 लाख	02.11.2015	20.04.2017	15.10.2017	ठेकेदार द्वारा कार्य में विलंब के कारण
2	2015-16	उदयनगर से सिमरोल की मिसिंग लिंक नाचनबोर घाट सेक्शन का निर्माण लं. 390 कि.मी.	म.प्र.शासन लो.नि.वि भोपाल का पत्र क्र. एफ-43/20/2015/19/यो/4900 भोपाल दि. 14.08.2015 राशि रु. 741.01 लाख संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 586.29 लाख पत्र क्र. 2436 दि. 02.05.16	28.11.2015	20.10.2016	15.05.2017	स्वीकृति पत्र में त्रुटि होना तथा यात्रा/निर्माण - रहने के कारण
3	2015-16	हाटपिपल्या बरखेड़ा सोमा करनावद मार्ग लं.9.10 कि.मी. की शेष लं.3.10 कि.मी. का निर्माण	म.प्र.शासन लो.नि.वि भोपाल का पत्र क्र. एफ-43/16/2015/19/यो/3807 दि. 29.06.2015 राशि रु. 413.09 लाख पुनरीक्षित	15.11.2016	27.07.2016	कार्यपूर्ण	-
	2016-17						

---- निरंक ----

[9/3/2017]

प्रपत्र "ब"

विधानसभा अताराकित प्रश्न क.222 श्री चम्पालाल देवड़ा

क्र.	मार्ग का नाम	कितना डामरीकरण कर दिया गया एवं उखड़ने वाले भाग का विवरण	उपयोग में लायी गई सामग्री की गुणवत्ता का विवरण	कार्यों का भौतिक निरीक्षण		निरीक्षण में क्या पाया गया	अमानक स्तर की सामग्री उपयोग में होने पर कौन जिम्मेदार है, तथा उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही
				अधिकारी का नाम	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उदयनगर (सबलगढ़ फाटा) से कनाड़ मार्ग (मिसिंग लिंक) लंबाई 9.70 कि. मी.	चैनेज क्र. 3880 से 4110 लंबाई 230 मीटर में 2.50 मीटर चौड़ाई में तथा चैनेज क्र. 4300 से 4800 तक 5.00 मीटर चौड़ाई में कुल लंबाई 830 मीटर वर्षाकाल के पूर्व डी. बी.एम का कार्य किया गया था इसके उपर दुसरी परत का कार्य नहीं किया जा सका, जिससे वर्षाकाल में कुछ हिस्से में मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका भुगतान नहीं किया गया।	किये गये निर्माण कार्य में मानक स्तर की सामग्री उपयोग में लाई गई।	मुख्य अभियंता मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री अधीक्षण यंत्री अधीक्षण यंत्री	01.09.2016 15.09.2016 07.11.2015 10.03.2016 03.11.2016	किये गये डामरीकरण कार्य में बरसात से पूर्व डामर की फाईनल सतह का कार्य न करने के कारण डामरीकरण के किये गये कार्य को निरस्त करने के निर्देश दिये।	चूँकि मानक स्तर की सामग्री उपयोग में लाई गई। अतः कोई जिम्मेदार नहीं।